

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक:- प. 20 (1) गृह-9/2023

जयपुर, दिनांक:- 14 FEB 2024

अधिसूचना


यतः राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके सनस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः राज्य सरकार राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके सनस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को एतद्वारा दिनांक 12.04.2024 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह.
(महेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव, गृह

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त राज जयपुर
5. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान जयपुर।
6. सचिव, विधानसभा सचिवालय ।
7. सनस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. सनस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान/पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
11. सनस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स राजस्थान।
12. सनस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त राजस्थान।
13. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में जानलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु। (साफ्ट कॉपी)
14. सहायक शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को उक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव, गृह